

उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ

दांडिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या.- 2239/2026

प्रमोद मौर्या उर्फ प्रमोद कुमार

..... आवेदनकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, गृह विभाग, सिविल सचिवालय, लखनऊ

.....प्रतिवादी(गण)

आवेदनकर्ता(गण) के अधिवक्ता	:- संजय कुमार
प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता	:- शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या. - 28

माननीय न्यायमूर्ति राजीव भारती

आवेदनकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

प्रस्तुत आवेदन, आवेदनकर्ता को वाद अपराध संख्या 280/2025, अंतर्गत धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 316(2) भारतीय न्याय संहिता, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोंडा में जमानत पर मुक्त करने हेतु दाखिल किया गया है।

उपरोक्त मामला 14.04.2025 को आवेदनकर्ता सहित 7 व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर पंजीकृत किया गया है। आरोप यह है कि सह-अभियुक्त सुनील मिश्रा ने सूचनाकर्ता को जमीन का एक भूखंड दिखाया और उसकी मुलाकात सह-अभियुक्त मालती देवी से करवाई। सूचनाकर्ता ने मालती देवी को धनराशि का भुगतान किया; तथापि, जब कोई विक्रय विलेख निष्पादित नहीं किया गया, तो उसने आगे की जांच की और पाया कि सुनील मिश्रा

अस्वीकरण:
“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”

ने उसे एक छद्म व्यक्ति से मिलवाया था और उस व्यक्ति के माध्यम से, उससे ₹3,50,000/- की धोखाधड़ी की।

आवेदनकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि मायावती, मालती देवी बनकर प्रतिरूपणकर्ता के रूप में प्रस्तुत हुई थी और वही वह महिला है जिसने ₹3,50,000/- की राशि प्राप्त की थी। आगे यह तर्क दिया गया है कि मुख्य अभियुक्त सुनील मिश्रा को दांडिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 के अंतर्गत संख्या. 618/2025 में पारित आदेश दिनांक 03.06.2025 के माध्यम से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया जा चुका है। रुस्तम मिश्रा उर्फ कृष्ण कुमार मिश्रा और मायावती को क्रमशः दांडिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 10392/2025 एवं संख्या 8038/2025 में पारित आदेशों दिनांक 17.11.2025 एवं 27.08.2025 के द्वारा पहले ही जमानत दी जा चुकी है। आवेदनकर्ता सह-अभियुक्तों के साथ समानता का दावा करता है।

यह आगे तर्क दिया गया है कि आवेदनकर्ता पर केवल षडयंत्र का सामान्य आरोप लगाया गया है। आवेदनकर्ता के आपराधिक इतिहास की व्याख्या जमानत आवेदन के समर्थन में दाखिल शपथ पत्र के प्रस्तर 16 में उचित रूप से की गई है। आवेदनकर्ता दिनांक 14.02.2026 से ही जेल में निरुद्ध है। यह भी तर्क दिया गया है कि आवेदनकर्ता के जेल से रिहा होने के पश्चात फरार होने या गवाहों को डराने-धमकाने की कोई संभावना नहीं है। यदि आवेदनकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, किंतु वे समानता के आधार का खंडन नहीं कर सके।

सह-अभियुक्त मायावती एवं रुस्तम मिश्रा उर्फ कृष्ण कुमार मिश्रा के पक्ष में पारित जमानत आदेश, सह-अभियुक्त सुनील मिश्रा के पक्ष में दांडिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 482, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता संख्या.618/2025 में पारित अंतरिम संरक्षण आदेश दिनांक 03.06.2025 को, आवेदनकर्ता के विरुद्ध अपराध को प्रत्यक्ष रूप से कारित करने संबंधी किसी विशिष्ट आरोप का अभाव, आरोप-पत्र प्रस्तुत किया जा चुका होना, तथा आवेदक दिनांक 14.02.2025 से न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध होना, इन समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए तथा वाद के गुण-दोष में प्रवेश किए बिना, मैं यह पाता हूँ कि आवेदनकर्ता को जमानत प्रदान किए जाने हेतु यह एक उपयुक्त प्रकरण है। तदनुसार, जमानत आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

अस्वीकरण:

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”

यह आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त वाद अपराध संख्या 280/2025 से संबंधित **आवेदक- प्रमोद मौर्य उर्फ प्रमोद कुमार**, को संबंधित मजिस्ट्रेट/न्यायालय के संतोषानुरूप एक व्यक्तिगत बंध-पत्र तथा समान धनराशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नवत शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

- (i) आवेदनकर्ता अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा;
- (ii) आवेदनकर्ता अभियोजन पक्ष के गवाहों पर कोई दबाव नहीं डालेगा;
- (iii) आवेदनकर्ता विचारण न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तिथि पर उपस्थित होगा।

कोई अन्य शर्त (शर्तें) जो विचारण न्यायालय/संबंधित न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त समझे, वह भी अधिरोपित की जा सकती है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियाँ वर्तमान जमानत आवेदन तक ही सीमित हैं और इनका विचारण के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(न्यायमूर्ति राजीव भारती)

मार्च 30, 2026

शुक्ला

अस्वीकरण:

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”